International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(III), January - March, 2022, pp.90-95

महिला सशक्तिकरण का समाज पर प्रभाव
(IMPACT OF WOMEN COMPORTMENT ON SOCIETY)

डॉ. झब्बूराम वर्मा*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति दो प्रकार के दृष्टिकोण उभरकर सामने आते है। प्रथम समाज में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष सम्मान दिलाने के पक्ष में है। जबकि दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है। जो उनके अधिकार एवं हितों से वंचित करने के पक्ष में है प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की अर्धागिनी है। एवं वे मानते है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता" जहॉ नारी की पूजा होती हैं। वहां देवता निवास करते हैं और यदि वास्तव में समाज में महिला का यही स्थान है तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं हो सकती, महिलाओं के प्रति दूसरा दृष्टिकोण महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी है। इसी कारण से समाज में महिलाओं को उत्पीडित किया जाता है उनका शोषण एवं दमन होता है। उनके प्रति हिंसा बरती जाती है। उन्हें प्रतडित किया जाता हैं इन्हीं अपराधों कों देखें, तो मैथली शरण गुप्त की ये पंक्तियां सही है कि

"नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूध आर ऑखों मे हैं पानी!

महिलाओं के प्रति हिंसा यही एवं अपराध कोई आज के युग की ही घटना नही हैं। घटित प्राचीन युग में भी इसके अनेको उदाहरण मिलते है। महाभारत में अपनी पत्नी द्रोपदी को जुए में दाव पर लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चिर हरण कर अपमानित किया। एवं रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था। कष्ट दिये जाते है। दहेज को लेकर नारी को जला देना हत्या कर देना बालिका भ्रुण हत्या, अपहरण, बलात्कार, एवं सतीत्व के नाम पर महिलाओं को इसी देश में जिन्दा जलाया जाता रहा है। इस प्रकार महिलाओं का उत्पीडन एवं गाली गलोज करना, उन्हें जला देना, उनका हत्या कर देना आदि महिला अपराध के कुछ उदाहरण आये दिन अखबार में आते रहते है।

महिला हिंसा

महिला हिंसा महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता–पिता, भाई–बहिन, पति, सास–ससुर, देवर–ननद, मामा व मामी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीडन जो नारी के शारिरीक या मानसिक आघात पहुँचाता है। महिला हिंसा की श्रेणी में आता है। और महिला उत्पीडन या हिंसा सामान्यतः अनेक प्रकार से देखी जा सकती है। यह हिंसा विशेष कर यौन उत्पीडन, बलात्कार, दहेज–प्रथा एवं महिलाओं को जला देना, भगा ले जाना, अपहरण करके उन्हें मारना एवं पीटना, मारना जैसे नैना साहनी हत्या कांड जिसमें नैना साहनी को उसके पति ने टुकडे–टुकडे करके तंदुर में जला दिया था। वहीं आज भी महिलाओं को डायन बता कर उनके पति अत्याचार करना। बालात्कार भी महिला हिंसा या उत्पीडन को जन्म देता है। इसको रोकने हेतु भारतीय दंड सहिता की धारा 376 के अनुसार महिला हिंसा कानूनी अपराध है।

* सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, बसवा, दौसा, राजस्थान।

21वी सदी में महिला अबला से सबला की और

21वी सदी में महिला अबला से सबला की और महिला अधिकार एवं कानून महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण आदि एवं शिक्षाा का विकास एवं महिलाओं के प्रति मनुवादि सोच का पतन आदि के कारण आज महिला केवल ऑगन की चार दिवारियों एवं चौका बरतन, खाना बनाने तक ही सीमित नहीं हैं। उसे केवल भोग की वस्तु एवं नौकरानी ही नहीं माना जाता– आज 21वी शताब्दी में महिलाऐं उन्नती के नये पायेदान पर है। आज वो आर्थिक सहयोग में एवं परिवार का भरण–पोषण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगी है। आज महिलाऐं पुरूष दोनों ही रोजगार एवं व्यवसाय में महती भूमिका अदा करने लगी है । आज महिलाऐं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कमजोर नहीं है। चाहे शिक्षा व्यवसाय, रोजगार, उद्योग धंधें, कंपनियों, फैक्ट्रियों, कलकारखानों, सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता चालक एव ंनौकरियां, राजनीति आदि पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिससे परिवार की घरेलू आय के उत्थान में भी योगदान रहा है। यदि हम ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में देखे तों महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं पुरूषों से अधिक कार्य करती है। जहां एक और खाना बनाना, झाडू–पोछा, बरतन के साथ ही खेत में कार्य करना, निराई–गुढ़ाई, बुवाई–कटाई एवं फसलों के संरक्षण में योगदान, सिचांई कार्य एवं आय में वृद्धि हेतु पशुपालन कार्य, दुग्ध उत्पादन कार्य, रसायन एवं खाद बनाना, कंडे बनाना, फसल तैयार कर बेचना, चाप एवं कपास के बागानों में कार्य करना, जहां आज महिलाऐं कुटीर उद्योग धंधों जैसे– मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पातल दोने बनाना, बीडी बनाना, पापाड़ बनाना आदि कुटीर उद्योग धंधों में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

प्राचीन काल में महिलाओं के प्रति जो धारणा थी "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" एवं "नारी जीवन हार्य तुम्हारी यहीं कहानी ऑचल में है। दूध और आँखों में है पानी" पुरूष प्रधान सामायिक व्यवस्था के कारण जहां महिला की स्थिति में अब 21वी सदी की नारी कानून की दृष्टि में अब अबला नहीं सबला है। पुरूष जगत का ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित हुआ कि नारी भी विश्व जीवन का उतना हीं आवश्यक एंव महत्त्वपूर्ण अंग है। जितना की पुरुष। वह पुरुष की वासना–तृप्ति का एक साधन मात्र नहीं है। बल्कि वह जननी सहचरी एवं मार्ग दर्शिका भी है।

हमारा संविधान सभी नागरिकों के साथ–साथ महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करता हैं संविधान महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति अधिकार भी प्रदान करता है।

महिला उत्थान एवं विकास

स्वतंत्रता के बाद नारी की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। तथा उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जहां संविधान में व्यवस्था की गई हैं। वहीं समय–समय पर नियम और कानून भी बनाए गये है। बल्कि ये नियम और कानून मुख्यत महानगरों एवं उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए ही शिक्षा एवं विकास के कारण उपयोग में लिए गये हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम कारगार हुए है।

महिलाओं के उत्थान हेतु भारत के युग पुरूषों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जैसे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉ भीमराव अम्बेडकर ने भी महिलाओं के प्रति बनाई गई कुछ कुरीतियां जैसे सती–प्रथा, बाल–विवाह, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराईयों का नाश करने का भरसक प्रयास किया। स्वतंत्रता आन्दोलन में कमला नहरु, सरोजनी नायडू, काली बाई आदि को आगे लाने का प्रयास किया।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरूषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाऐं चलाई गई है।

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम मे योगदान देखे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिह्नित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। एक पुरूष ज्यादा समय तक काम कर सकता है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है।

ऐसे कई कारण है जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर्ज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरूष काम करने के लिए भारत आते है और उनके पीछे महिलाऐं अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महिलाऐं मात्र 17% का योगदान दे रहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाऐं अगर श्रम मे भागीदारी करे तो भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है।

महिला सशक्तिकरण के अधिकार

- **समान वेतन का अधिकार** – समान परिश्रम अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- **कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून** – यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए है, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत होने पर महिलाओं को जाँच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।
- **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार** – भारत के हर नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने का अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकलीफ लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
- **संपत्ति का अधिकार** –हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम (PCPNDT) के तहत नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरूष दोनों को बराबर का हक है।
- **गरिमा और शालिनता के लिए अधिकार** – किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली काई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- **महिला सशक्तिकरण** –महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है।

मनरेगा

ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाली केंद्र सरकार ने भी सभी योजनाओं में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना– मनरेगा को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस योजना का लाभ किसानों के साथ गांव में रहने वाले हर तबके के व्यक्तियों को मिलता है इसलिए यह माना जाता है कि इस योजना से पैसा ग्रामीण की जेबों में पहुँचता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मिला है।

बेटियों के जन्म का उत्सव (बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं)

बेटा बेटी एक समान और कन्या के जन्म का उत्सव मनाने के नारे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ओं' अभियान की शुरूआत की थी। उन्होंने बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने और इस जन्मोत्सव पर 5 पेड़ लगाने का अनुरोध भी लोगों से किया।

इसका लक्ष्य स्पष्ट था। शिशु लिंगानुपात की असमान दर को कम करने के साथ–साथ महिलाओं को मजबूत बनाना। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में PC तथा PNDT कानून को सख्ती से लागू किया गया, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया गया एवं साथ ही सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों को छांट कर वहां विशेष अभियान शुरू किया गया।

सुकन्या समृद्धि योजना (सामर्थ्य योजना)

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ओं' अभियान केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्याश्री प्रकल्प और धनलक्ष्मी जैसी कई योजनाएं इसके अंतर्गत आती है। इसके तहत सरकार कन्या के जन्म के समय प्रोत्साहन राशि, पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप और शादी के लिए सरकारी आर्थिक सहायता देती हैं। इस सामर्थ्य योजना में 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं' योजना के साथ–साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौशल कार्यक्रम, क्रेच और जेंडर बजट को भी एक साथ जोड दिया गया है।

उज्ज्वला योजना

बजट में महिलाओं को सीध लाभ पहुंचानें वाली एक अन्य योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक करोड़ और महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने 1 मई, 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को धुएं से मुक्त करने के लिए गरीब–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को पांच करोड़ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। बाद में इस लक्ष्य में संशोधन किया गया और मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कर लिया गया। अब वित्तमंत्री ने एक करोड़ और महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की अगले तीन वर्षों में 100 और जिलों को शहरी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना है जिससे शहरी महिलाओं को लाभ मिलेगा। स्वच्छ ईधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने मई 2016 को उत्तरप्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की थी। यह योजना एक धुंआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और उस समय वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों खासकर ग्रामीण–रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इसकी शुरूआत की गई थी। अब तक देश के ज्यादातर परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके है।

जल जीवन मिशन

सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत लाने से महिलाओं को घरेलू कामकाज मे लगने वाले अतिरिक्त समय और परिश्रम से कुछ राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले करोड़ों परिवारों को पाईप लाईनों के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और 'अमृत' योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे पांच साल में लागू किया जाएगा और इसके लिए 2,87,000 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। इस योजनाओं से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव में महिलाएं ही सबसे अधिक कष्ट उठाती है।

महिला श्रमशक्ति की भागेदारी

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला श्रमिकों की संख्या 14.98 करोड़ है जिनमें से 12.18 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 2.8 करोड़ शहरी इलाकों के है लेकिन जब रोजगार खोजने का सवाल उठता है तो इस तरह की महिलाओं की संख्या कामकाजी या रोजगार ढूंढ रही महिलाओं के सिर्फ 18.6 प्रतिशत के बराबर है। दूसरी ओर, पुरुषों के मामले में 2018–19 में यह संख्या 55.6 प्रतिशत के बराबर थी। सामाजिक रीति–रिवाजों की वजह से महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी (एफएलएफपी) कभी बहुत नहीं रही है, फिर भी हाल के वर्षों में इसमें भी गिरावट आ रही है। वर्ष 2018–19 में 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यह तेजी से घटकर 24.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी। इतना ही नहीं, यह 45 प्रतिशत के वैश्विक औसत से भी काफी कम हैं। हालांकि भारत में एफएलएफपी ऐतिहासिक दृष्टि से ही कम रहा है, लेकिन ताजा

रुझानों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि श्रमशक्ति में उनकी संख्या कम होती जा रही है जबकि घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं की संख्या बढ रही हैं । ऐसा तब हो रहा है जब देश में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था निरंतर विकसित हो रही है।

कोविड–19 महामारी से स्थिति और खराब हुई और शिक्षा,घरेलू कार्य, पर्यटन और रेस्तरां जैसे क्षेत्रों की नौकरियों में, जिनमें महिलाएं बडी तादात में कार्य करती हैं, भारी कमी आई है। कोविड–19 महामारी और उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न आर्थिक संकट ने जहां कुछ क्षेत्रों पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक असर डाला है, वहीं इसने पहले से मौजूद कमजोरियों को उजागर कर दिया हैं एक प्रमुख विषमता मजदूरी वाले और बिना मजदूरी किए जाने वाले कार्यो में स्त्री–पुरुष असमानता की है। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा महिलाओं की रोजमर्रा के घरेलू कामकाज में बढोत्तरी, स्वास्थ्य और पोषण में कमी तथा आर्थिक अवसरों के कम होने के रुप में भुगतना पड रहा हैं। हालांकि स्त्री औा पुरुष, दोनों पर दी आर्थिक संकट का असर पडा है, लेकिन पुरुषों ने अपेक्षाकृत आसानी से फिर से रोजगार प्राप्त कर लिया हैं सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट के अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2019 में काम कर रही महिलाओं में से केवल 16 प्रतिशत महिलाओं के दौरान और इसके बाद अपनी नौकरियों में बनी रह सकी जबकि इस तरह के पुरुषों की संख्या 60 प्रतिशत रही। लॉकडाउन का सबसे अधिक दुष्परिणाम शहरी महिलाओं को उठाना पडा। नवंबर 2020 में रोजगार से हाथ धोने वाली करीब 67 लाख महिलाओं में से 23 लाख ग्रमीण महिलाएं थी जबकि शहरी महिलाओं की संख्या 44 लाख थी। इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकडों से भी पता चलता हैं कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रमीण क्षेत्रों में अधिक आई है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान (पीएमजीकेआरए) के जरिए स्थानीय–स्तर पर रोजगार सृजित करने की पहल की हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, जीवंत जनसांख्यिकी और महिलाओं समेत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग पर आधारित है पीएमजीकेआरए के तहत सरकार ने ग्रमीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की है ताकि शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय–स्तर पर रोजगार के अवसर विशेष रूप से बढ़े। मिशन मोड़ पर चलाई जा रही इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने महिलाओं समेत करीब 50 लाख रेहड़ी–पटरी–फेरी वालों को बिना जमानत दिए अपना कारोबार करने के लिए 10,000 रूपये का कार्यशील पूंजी ऋण एक साल के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भी शुभारंभ किया है ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। शहरी क्षेत्रों मे उद्यमिता हेतु यह स्थिति दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है।

गिग अर्थव्यवस्था में अवसर

बीते कई सालों में से ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में महिलाएं रोजगार और नौकरी के लिए शहरी इलाकों में आ रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि उच्चतर महत्वाकांक्षाओं वाली और रोजगार बाजार के अनुकूल नए कौशलों से संपन्न युवा महिलाएं पारम्परिक लैंगिक वर्जनाओं से ऊपर उठकर काम की तलाश में बड़े शहरों में आ रही है। वे शहरी इलाकों में और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर खोज रही है और पा रही है ऐसा गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खासतौर पर हो रहा है जिसमें मांग पर सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफार्म के साथ–साथ अनौपचारिक क्षेत्र में आने वाले फ्री लांस काम करना, डायरेक्ट सैलिंग, ब्यूटी पार्लर और इसी तरह के कार्य भी शामिल है। पेशेवर कार्य करने वाली महिलाओं और अर्ध–कुशल श्रमिकों के लिए गिग इकोनॉमी, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफार्म 'गैम चेंजर' साबित हुए है। काम करने के लचीले नियमों की वजह से महिलाओं के लिए अपनी पारम्परिक भूमिकाओं और कार्य के बीच संतुलन बनाना बहुत आसान हो गया है। यह बात और है कि इसके लिए उन्हें जो मेहनताना मिलता है, उससे वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आज बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी गिग कर्मियों को रखना ज्यादा फायदेमंद मानती है क्योंकि इससे एक तो श्रम पर लागत कम आती है और वांछित कार्य का अनुभव रखने वाली और कार्य को

उत्सुक महिलाकर्मी आसानी से खोजी जा सकती है। गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली श्रम शक्ति में से 50 प्रतिशत महिलाएं है और चूँकि ये न्यू इकोनॉमी का हिस्सा है इसलिए इनमें महिलाओं और पुरूषों के बीच वेतन असमानता भी कम है, लेकिन गिग इकोनॉमी से संबंधित कायदे–कानून फिलहाल अस्पष्ट से है।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

बजट में की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है जिसमें इतनी बड़ी ताकत है कि यह सभी महिलाओं पर असर डाल सकती है। चाहे वे प्रतिभागियों या लाभार्थियों के रूप में हो, कुशल और अर्द्धकुशल कामगार हो या ग्रामीण अथवा शहरी महिलाऐं हो। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि नयी और नए रूपों में सामने आ रही बिमारियों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। यह कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा होगा। इस योजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार होगी देश में ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मदद करना, सभी जिलों में समन्वित जन–स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, जनस्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना करना। इस समय देश मे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों में से लगभग आधी महिलाऐं है जो डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, मिडवाइफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के रूप में स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसलिए अगर किसी स्वास्थ्य योजना की पहुंच बढ़ाने, क्रियान्वयन और निगरानी में महिलाएं अधिक बहतर भूमिका निभा सकती है। महिलाओं के जीवन को उद्देश्य पूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य, देखभाल करने वाले कर्मियों से संबंधित दो प्रस्तावित विधेयक–राष्ट्रीय अनुषंगी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कर्मी विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग तथा मिडवाइफरी आयोग विधेयक में भी महिला चिकित्साकर्मियों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आहुजाराम भारतीय समाज (रावत पब्लिशर्स)
2. सुनील गोयल, संगीता गोयल भारतीय सामाजिक व्यवस्था (आर.वी.एस.ए. पब्लिशर्स)
3. राजस्थान पत्रिका
4. दैनिक भास्कर
5. इण्डिया टूडे
6. भारत में समाज– एम.एल गुप्ता, डॉ. डी.डी. शर्मा (साहित्य भवन पब्लिकेशन्स)

❖◆❖